न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 2021/406 दायर दिनांक–02.03.2020

1. चावली देवी पुत्री धन्नाराम उर्फ पन्नाराम जाति जाट निवासीगण मिठारवालो की ढाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. पारी पुत्री धन्नाराम उर्फ पन्नाराम जाति जाट निवासीगण मिठारवालो की ढाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. भगवानी पुत्री धन्नाराम उर्फ पन्नाराम जाति जाट निवासीगण मिठारवालो की ढाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
4. श्रवणी पुत्री धन्नाराम उर्फ पन्नाराम जाति जाट निवासीगण मिठारवालो की ढाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सुरेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील प्रति॰ :– राजपैरोकार

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 26–08–2021

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर प्रस्तुत किया कि वाके मिठारवालों की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में काश्त की भूमि खसरा नम्बर नया 2111 रकबा 2.57 हैक्टर खसरा नम्बर 2136 रकबा 1.52 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.09 हैक्टर अवस्थित है। जिसका खातेदार काश्तकार धन्नाराम उर्फ पन्नाराम रहा है जो वादीगण का पिता है। ग्राम मिठारवालो की ढाणी पटवार हल्का खिरोड में धन्नाराम उर्फ पन्नाराम नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ। धन्नाराम उर्फ पन्नाराम के पांच पुत्रियां संतान क्रमशः चावली, जमना, पारी, भगवानी, श्रवणी पैदा हुई है। धन्नाराम उर्फ पन्नाराम के कोई पुत्र संतान पैदा नही हुआ है। धन्नाराम उर्फ पन्नाराम व उसकी स्त्री का स्वर्गवास हो गया है। धन्नाराम उर्फ पन्नाराम ने अपने जीवनकाल में दावा की धारा 1 में वर्णित काश्त की भूमि का दानपत्र अपने पांचों पुत्रियों क्रमशः चावली, जमना, पारी, भगवानी, श्रवणी को करवाया था। दान–पत्र के आधारपवर धन्नाराम उर्फ पन्नाराम की पुत्रियों को खातेदारी अधिकार मिले है तथा जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 में उसी के नाम से राजस्व रिकार्ड बना हुआ है।

धन्नाराम उर्फ पन्नाराम की एक पुत्री जमना की ग्राम डूमरा तहसील नवलगढ के सुलतान जाति जाट के साथ शादी हुई थी शादी के बाद उसका पति का स्वर्गवास हो गया तथा जमना अपने बहिने वादियागण के साथ ग्राम मिठारवालों की ढाणी मे रहने लगी। जमना ने कोई पुर्नविवाह नही किया। जमान का दिनांक 12.05.1987 को नाऔलाद फौत हो गई जमना का दाह संस्[illegible] में ही हुआ है। जमना के कोई पुत्र व पुत्री संतान पैदा नही हुई है। लेकिन आज उनका नाम रा[illegible]र्ड में भी दर्ज है। वादियागण उसकी सगी बहिने है जो उसकी कानूनी वारिस है। ज[illegible] भूमि खसरा नम्बर 2111 रकबा 2.57 हैक्टर खसरा नम्बर 2138 रक[illegible] कुल रकबा 4.09 हैक्टर में 1/5 चला आ रहा है। वादियागण धन्नाराम उर्फ पन्नाराम की जायन्दा पुत्रियां है [illegible] जमना की सगी बहिन ह[illegible]कारण जमना के हिस्से की भूमि में उन्ही का हक व अधिकार है। इस प्रकार वादियागण अपने हक [illegible] लिए दावा घोषणार्थ का पेश कर रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:37:30 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

धन्नाराम उर्फ पन्नाराम ने अपने जायन्दा पुत्रियों के पक्ष में उपरोक्त भूमि का दान पत्र करवाया है जिसके प्रत्येक जायन्दा पुत्री का 1/5 वां हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है जमना की मृत्यू होने के बाद उनका 1/5 वां हिस्सा स्वतः ही उसके विधिक वारिसों में वादियागण में निगमिल हो गया है। वादियागण का हिस्सा 1/5 वे स्थान पर 1/4 हो गया है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी वादियागण का हिस्सा 1/5 दर्ज है जो गलत दर्ज है। जमनाराम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर वादियागण के प्रत्येक का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादियागण ग्रामीण अनपढ़ महिला है उन्होने कहीं भी राजस्व रिकॉर्ड की और ध्यान नही दिया। वादिया नम्बर 1 ने किसान क्रेडिट कार्ड की पत्रावली तैयार करवाने के लिए पटवारी हल्का खिरोड से भूमि खसरा नम्बर 2111 रकबा 2.57 हैक्टर खसरा नम्बर 2138 रकबा 1.52 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.09 हैक्टर की नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 16.01.2020 को तैयार करवाई तब राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई वादियागण को जानकारी होने के बाद यह दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादियागण को दिनांक 16.01.2020 को गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने के रोज से वादकारण उत्पन्न हुआ। दावा की धारा 1 में वर्णित काश्त की भूमि ग्राम मिठारवालों की ढाणी पटवार हल्का खिरोड तहसील नवलगढ की सरहद में अवस्थित है जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार मे हो जो दावा सनुने का श्रवणाधिकार है।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि वाद बहक वादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि ग्राम मिठारवालों की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2111 रकबा 2.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 2138 रकबा 1.52 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.09 हैक्टर में जमना पुत्री धन्नाराम उर्फ पन्नाराम का हिस्सा 1/5 जाति जाट का नाम राजस्व रिकार्ड से दुरूस्त किया जाकर वादियागण प्रत्येक को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अन्य कोई सिद्धी जो वादियागण के हक में पड़ती हो तथा चाही जाने से रह गई हो वादियागण को दिलवाई जावे।

वादी का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 की तलबी प्रर्याप्त रूप से होने के पश्चात भी ईनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अलम में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने पर तनकीयात की आवश्यकता नही रह जाती है। तथा तथा विवाद्यको पर निर्णय किये जाने की आवश्कता नही है। जवाब देही प्रस्तुत होने के बाद शहादत वादी में चावली, पारी, भगवानी, श्रवणी पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी मिठारवालो की ढाणी ने मुख्य परीक्षण के शपथ पर पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादियागण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजात ग्राम मिठारवालों की ढाणी की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 तथा नक्शा ट्रेश एंव मृत्यू प्रमाण पत्र जमना देवी आदि का प्रस्तुत किये गये। नकल जमाबंदी सम्वत 2075–2075 ग्राम मिठारवालों की ढाणी की स्थित खसरा नम्बर 2111 रकबा 2.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 2138 रकबा 1.52 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.09 हैक्टर में चावली पुत्री धन्ना, जमना पुत्री धन्ना, पारी पुत्री धन्ना भगवानी पुत्री धन्ना, श्रवणी पुत्री धन्ना के नाम संयुक्त खातेदार हिस्सा 1/5–1/5 दर्ज रिकार्ड है। धन्नाराम उर्फ पन्नाराम के पांच पुत्रियां संतान क्रमशः चावली, जमना, पारी, भगवानी, श्रवणी पैदा हुई है। धन्नाराम उर्फ पन्नाराम [illegible] स्वर्गवास हो गया है। इस प्रकार के कोई पुत्र संतान पैदा नही हुआ है। धन्नाराम [illegible] दस्तावेजात के अनुसार जमना पुत्री उपरोक्त तथ्यों से वादग्रस्त भूमि वादियागण [illegible] व पुत्री नही है। इस प्रकार धन्नाराम उर्फ पन्नाराम फौत हो चुकी है तथा [illegible] है। अतः इस स्थिति में वाद वादियागण जमना पुत्री धन्नाराम उर्फ पन्नाराम के वारिस [illegible] किया जाता है। स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण वाद वादियागण स्वीक[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:37:30 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादियागण स्वीकार किया जाता है। ग्राम मिठारवालो की ढाणी तन खिरोड पटवार हल्का खिरोड तहसील नवलगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 2111 रकबा 2.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 2138 रकबा 1.52 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.09 हैक्टर का वादियागण 1 लगायत 04 को प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जमना पुत्री धन्नाराम उर्फ पन्नाराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहाकय कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:37:30 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा संः– 2021 / 406 **(चावली आदि बनाम तहसीलदार आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.08.2021 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम मिठारवालो की ढाणी तन खिरोड पटवार हल्का खिरोड तहसील नवलगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 2111 रकबा 2.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 2138 रकबा 1.52 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.09 हैक्टर का वादियागण 1 लगायत 04 को प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जमना पुत्री धन्नाराम उर्फ पन्नाराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.08.2021 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	14.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:37:30 IST
Reason: SelfAttested